परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त

प्रपत्र क (पैरा 2.2(1) देखें) (यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1 -	01		
1. 1	परियोजना	विवरण	

(1) गरडा से जैसवा

- गरडा से जैसवा को जोडने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सडक वन क्षेत्र से गुजरती है।
- वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)
 - स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या
 - क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में)

3.98 हेक्टेयर

वन मण्डल

- 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।
- प्रस्तावित भवन / गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग—अलग विवरण।
- प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।
- ग्राम सभा की संस्तुति-स्वीकृत / अस्वीकृत

यूजरं एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पता एस० एस० मीना अधिशाषी अभियन्ता

प्रस्ताव की क्रम संख्या सावति विक्खण्ड शाहाबाद (रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाए ॥)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ग्राम सेवक

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

वन पाल

नाक) खेमाद (अवडल)

E:\Edit (2)\Performas\परिशिष्ट (प्रपत्र-क)K-(6)

			1
	की तारीख	ग्राम	प्रपन्न
	बैठक का स्थान 2	पंचायत	संख्या -
	थान पंच	/ न्याय	-
	/ सरपंच का नाम	34	
	म नाम	समिति	
	उपरिथत र	Ne	बैठेट
	सदस्यों का	15)	क्
3783 33990 322	गुम		गर्यट
		पंचाय	िंडी
)	यत सिम	विव
地震。1920年	बैठक	ति /	Inz
1 DN DY - 3 R F 10 15 - 38 F	की कार्यवा	तमाद्वा राजा	र्यु
ESO DE CONTRA LA	बैठक की कार्यवाही का विवरण	ते जिथानगल	रण रजिस्टर अतः कः भागंव एण्ड सन
120 H. 100 H. 10	रण —	जिल	आर. के.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	4	जिला अ/री	भागंच एण
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			ड सन्स,
	are and	% सामिति G	The state of the s
型型型型。		P. 11	(Jehn Constitution of the
	18	- TENTE	

Assessment of the second secon

THOSE IS AND I NOON I WAS IN THOSE .. ा अंता बार

आज दिनांक०२।।०।३०।।।..... को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली संडक गरड़ा से जैसवा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि

212/20/20/21/20

सरपंच समि विचयत ग्राम पंचायत, गरड़ा पंजस्त विश्वासी पंचायत समिति किशानगंज

पंचायत समिति किशनगंज

रमानिस्स सस्मियत

पं राजियार्डा(बारा)

भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है । उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लिम्बत नहीं है वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत आज दिनांकडिप्रीयक्रीय को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर गरडा से जैसवा के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 10/02.10.2014 । अतः सर्वसम्मित से उक्त सडक को उक्त प्रस्तावित वन

उपखण्ड अधिकारी

रेंजर वन क्षेत्र किशनगंज/केंब्रिंडा/

प्रस. किशनगंज

FORM-I (for linear projects) Government of Rajasthan Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 18/2014

Dated 25-11, 2014

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.98 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad (name of user agency) for Construction of Road Work from Garda to Jaiswan (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Garda and Jaiswan village(s) in Kishanganj tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.98 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl.: As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M. Signature

(Full name and official seal of the District Collector)